 माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे	 माननीय गृह मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया

राज्य पुलिस जवाबदेही समिति,राजस्थान,जयपुर का वेबसाइट पोर्टल हेतु विवरण

1. **स्थापनाः**— राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 62(1) के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने गृह (ग्रुप—1) विभाग के आदेश क्रमांक प. 12(09)गृह—1/2011 दिनांक 30.05.2016 द्वारा राज्य पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया।

2. **मनोनीत सदस्यः**— राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 63(1) के प्रावधानों के अनुसार राज्य पुलिस जवाबदेही समिति में राज्य सरकार द्वारा पांच सदस्य मनोनीत किये गये हैं। वर्तमान में निम्नलिखित सदस्य कार्यरत हैंः—

क्र.सं.	पद	नाम	मोबाईल नंबर	ई—मेल	निवास का पता
1.	अध्यक्ष	जस्टिस(से.नि.)श्री जी.एल. गुप्ता	9413341742	justicegupta@gmail.com	7/22,विद्याधर नगर, जयपुर
2.	सदस्या	श्रीमती शशी अग्रवाल, एडवोकेट	9166100273	Shashiagarwal117@gmail.com	मार्फत कोटावाला ब्रॉदर्स,पोस्ट आफिस के सामने,बस स्टेण्ड,झालावाड़
3.	सदस्य	श्री शफी मोहम्मद कुरेशी	9829999982	qsm712@gmail.com	31,किदवई नगर, ईमलीवाला फाटक,जयपुर
4.	सदस्य	पद रिक्त है			
5.	सदस्य सचिव	श्री एन.आर.के.रेड्डी, आई.पी.एस.,अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशासन एवं कानून व्यवस्था, राज.,जयपुर	8003667888 0141—2740690(o) 0141—2740992 (F)	l.o.phqjpr@gmail.com	1/40,गांधी नगर, जयपुर

3. **कार्य**:– राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 64 के प्रावधानों के अनुसार राज्य पुलिस जवाबदेही समिति का कार्य निम्नलिखित हैं:–

(क) पर्यवेक्षण पंक्ति के पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध ''घोर अवचार'' (serious misconduct) के अभिकथनों की या तो स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या जिला समिति से प्राप्त किसी शिकायत पर, जांच करना,

(ख) ऐसे अन्य कृत्य करना जो राज्य सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे, या

(ग) जहां कहीं भी अपेक्षित हो, उसके द्वारा जांच किये गये किसी मामले में राज्य सरकार को सिफारिशें करना।

स्पष्टीकरण:–इस धारा के प्रयोजन के लिए ''घोर अवचार''(serious mis conduct) से निम्नलिखित अभिप्रेत है:–

(i) घोर अपहति(grievous hurt);

(ii) अवैध निरोध, या (illegal detention); or

(iii) ऐसे किसी भी अपराध,जिसके लिए विधि में विहित अधिकतम दण्ड दस वर्ष या उससे अधिक है,

में परिणत होता है या उसकी कोटि में आता है, या(any other offence for which the maximum punishment presctibed in law is ten years or more),

(II) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उद्दापन(Extortion by a police officer).

4. **कार्य क्षेत्रः–** राजस्थान राज्य के सभी पुलिस जिले आते हैं। समिति में आर.पी.एस. एवं आई.पी.एस. स्तर के सभी अधिकारियों के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त कार्य/गतिविधि आदि से पीड़ित करने पर उस अधिकारी के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति द्वारा व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा शिकायत की जा सकती है।

5. राज्य पुलिस जवाबदेही समिति की शक्तियां:– राज्य पुलिस जवाबदेही समिति को राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 65 के अधीन निम्नलितिखत मामलों के संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय वही शक्तियां होगी जो सिविल

प्रक्रिया संहिता, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी भी न्यायालय को वाद का विचारण करते समय होती है, अर्थात

(क) किसी व्यक्ति की उपस्थिति कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना,

(ख) दस्तावेजों के पेश किये जाने के लिए बाध्य करना, और

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना,

और समिति के समक्ष की कार्यवाहियां भारतीय दण्ड संहिता, 1860(1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 193, 196 और 226 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी।

6. **कार्यालयः**—राज्य पुलिस जवाबदेही समिति का कार्यालय पूर्व में पुलिस मुख्यालय, जयपुर में था। वर्तमान में (कार्यालय भवन किराये पर है) डी—4,बादामी भवन, स्वर्णकार कॉलोनी,बैंक ऑफ इण्डिया के ऊपर, आर.पी.ए. रोड़,शास्त्री नगर,जयपुर में स्थित है।

7. **स्टॉफः**— राज्य पुलिस जवाबदेही समिति के कार्यालय में राज्य सरकार की स्वीकृति एवं नियमानुसार तीन कर्मचारी संविदा पर भर्ती किये गये हैं, जिनमें एक स्टेनोग्राफर, एक लिपिक ग्रेड़—2 व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है।

ह./—

सदस्य सचिव,
राज्य पुलिस जवाबदेही समिति एवं
अति. महानिदेशक पुलिस(प्रशासन,कानून एवं व्यवस्था),
राजस्थान,जयपुर।